UPLK010139372019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
विशेष परीक्षण सं0 256 / 2019

सरकार **बनाम** हनोमान रावत आदि

अ0सं0 567 / 2019
धारा–323,506 भा0द0सं0
धारा 3(1)द,ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मोहनलालगंज, लखनऊ।

29–05–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण हनोमान रावत व राजेन्द्र यादव जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त हनोमान रावत के विरुद्ध धारा 323, 506 भा0द0सं0 एवं अभियुक्त राजेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा 323, 506 भा0द0सं0 धारा 3(1)द, ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 08–07–2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010139372019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
विशेष परीक्षण सं0 256/2019

सरकार **बनाम** हनोमान रावत आदि

अ0सं0 567/2019
धारा–323,506 भा0द0सं0
थाना–मोहनलालगंज, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त हनोमान रावत को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक 13.10.2018 को समय रात करीब 11.00 बजे थाना मोहनलालगंज जिला लखनऊ सीमान्तर्गत राजकीयकृषि प्रक्षेत्र डेहवा में पर आप अभियुक्त हनोमान रावत द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा नीलम के पति भैया लाल को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त हनोमान रावत द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा नीलम के पति भैया लाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–6127

दिनांकः 29–05–2025

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–6127

दिनांकः 29–05–2025

UPLK010139372019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 256 / 2019

सरकार **बनाम** हनोमान रावत आदि

अ0सं0 567 / 2019

धारा–323,506 भा0द0सं0

धारा 3(1)द,ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,

थाना–मोहनलालगंज, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त राजेन्द्र यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त राजेन्द्र यादव द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा नीलम के पति भैया लाल को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त राजेन्द्र यादव द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा नीलम के पति भैया लाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त राजेन्द्र यादव द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा नीलम के पति भैया लाल को अनुसूचित जाति का सदस्या जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान परआप अभियुक्त राजेन्द्र यादव द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा नीलम के पति भैया लाल जो कि अनुसूचित जाति के सदस्या है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–6127

दिनांकः 29–05–2025

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–6127

दिनांकः 29–05–2025